

नियम 68 : विवरणियों के फाइल न करने वाले व्यक्तियों को सूचना

प्ररूप जीएसटीआर-3क में सूचना ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इलेक्ट्रानिक रूप में जारी की जाएगी जो धारा 39 या धारा 44 या धारा 45 या * 52 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है।

* राजपत्र में "55" छपा है।